कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2022–23 का परीक्षाफल

शासनादेश संख्या : 215366/XXIV-A-1/2024-39646/2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग –1 देहरादून दिनांक 04 जून 2024, शासनादेश संख्या 230553/XXIV-A-1/2024-39646/2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग –1 देहरादून दिनांक 06 अगस्त 2024, अधिसूचना संख्या 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024 देहरादून, 16 मार्च 2024 उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियो के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2024, शासनादेश संख्या 271570/XXIV-A-1/2024-81330/2025 बेसिक शिक्षा अनुभाग –1 देहरादून दिनांक 30 जनवरी 2025 के क्रम में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022–23 का आयोजन दिनांक 30 नवम्बर 2024 को किया गया। इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के पत्रांक उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0प्र0प02022–23/विज्ञप्ति 01/162–66/ 2024–25 दिनांक 04 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक 28 सितम्बर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

दिनांक 30 नवम्बर 2024 को आयोजित द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022–23 का परिणाम (योग्यता/चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र/ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार कर औपबंधिक रूप से घोषित किया जा रहा है। **योग्यता/चयन सूची नितान्त औपबंधिक है।**

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचनाओं का परिषद् द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के नाम इन योग्यता/चयन सूचियों में अंकित हैं वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं इस परीक्षा हेतु जारी प्रारम्भिक शिक्षा में द्वि–वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022–23: सूचना विवरणिका (Two – Year DELED Entrance Exam 2022-23: INFORMATION BROCHURE) में अंकित समस्त अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र/ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य/यों अंकित करने के कारण उसका नाम योग्यता/चयन सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता/चयन सूची (औपबंधिक) तैयार की गई। योग्यता/चयन सूची तैयार करते समय दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को योग्यता/चयन सूची में ऊपर रखा गया है, यदि आयु भी बराबर हो तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) क्रम में पहले आने वाले अभ्यर्थी को योग्यता/चयन सूची में ऊपर रखा गया है।

प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउंसिलिंग के समय एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों से अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचनाओं का मिलान/सत्यापन कर जनपद आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा काउंसिलिंग हेतु तिथियों का निर्धारण कर चयनित अभ्यर्थियों को यथासमय इसकी सूचना दे दी जायेगी। काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि –

1. **अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 01 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो।** आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। **न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।** भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु **विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।**
3. अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या : 164/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 28.06.2019 द्वारा संशोधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के

26/3/2025

* पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। (इस परीक्षा हेतु जारी प्रारम्भिक शिक्षा में द्वि-वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23: सूचना विवरणिका (Two – Year DELED Entrance Exam 2022-23: INFORMATION BROCHURE) के बिन्दु सं0 02 'क' के अनुसार)।

4. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो।

5. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में-

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी (DFF) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो, जिनसे उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके।
- अनाथ (Orphan) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो, जिनसे उनके अनाथ (Orphan) होने की पुष्टि हो सके।
- दिव्यांगता (PH) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता (40 प्रतिशत या अधिक) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो और प्रमाण-पत्र में दिव्यांगता एवं उसके प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो।
- भूतपूर्व सैनिक स्वयं (Ex. Sol. Self) श्रेणी चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हों जिनसे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों। विज्ञ हो कि इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है उनके आश्रितों को नहीं।
- राज्य आन्दोलनकारी (RA) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के पास शासनादेश संख्या 271570/XXIV-A-1/2024-81330/2025 बेसिक शिक्षा अनुभाग -1 देहरादून दिनांक 30 जनवरी 2025 के द्वारा "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 के क्रम में शासनादेश संख्या 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24.11.2024 में दिये गये प्रावधानो के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो।
- कुशल खिलाड़ी (SP) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के पास अधिसूचना संख्या 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024 देहरादून, 16 मार्च 2024 उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियो के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो।

6. उर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनो आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का अधिवासी होना आवश्यक है।

7. काउंसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने अथवा वांछित योग्यता न होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची से वरियता क्रम मे अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

		26/3/2025
(सुषमा गौरव)	(बी0एम0एस0 रावत)	(वी0पी0 सिमल्टी)
उप सचिव	अपर सचिव	सचिव
उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल